

# बालिका शिक्षा फाउण्डेशन राजस्थान, जयपुर

एकलव्य भवन, डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) 302015

क्रमांक :- प.85/बा.शि.फा./मु.ह.बे.योजना/2022-23/00018

दिनांक : यथाहस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी  
(मुख्यालय) माध्यमिक  
समस्त

विषय:-वर्ष 2024-25 में "मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना" के ऑनलाईन प्रस्ताव के प्रेषण के क्रम में।

विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना वर्ष 2024-25 में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर कार्यालय से चयनित पात्र बालिकाओं के ऑनलाईन प्रस्ताव शाला दर्पण BENEFICIARY SCHEME PORTAL पर आप कार्यालय के LOGIN से भरे जाने है।

उपरोक्तानुसार वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 में योजनान्तर्गत चयनित पात्र बालिकाओं के सम्पूर्ण दस्तावेजों सहित प्रस्ताव प्राप्त करते हुए दिनांक 10.11.2024 तक उक्त प्रस्ताव फाउण्डेशन को ऑनलाईन प्रेषित करवाया जाना सुनिश्चित करावे, जिससे बालिकाओं को आर्थिक सहायता राशि से लाभान्वित करवाया जा सके।

वर्ष 2024-25 में आपके जिले की कोई भी पात्र बालिका प्रस्ताव ऑनलाईन न होने से योजना के लाभ से यदि वंचित रहती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आप स्वयं का होगा।

सलग्न : उपरोक्तानुसार प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश

(तेजपाल मूण्ड)

सचिव

बालिका शिक्षा फाउण्डेशन  
जयपुर

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

1. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार,
2. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर
3. निदेशक महोदय, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक महोदय, एन. आई. सी. शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर
5. उपायुक्त महोदय (मॉडल स्कूल प्रकोष्ठ), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर
6. उपायुक्त महोदय (शाला दर्पण प्रकोष्ठ), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर
7. प्रभारी अधिकारी, छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ, मा.शि.नि. बीकानेर
8. रक्षित पत्रावली।

**Signature valid**

Digitally signed by Tejpal Moond  
Designation: Secretary  
Date: 2024.10.15 12:52:45 IST  
Reason: Approved



वर्ष 2024–25 में मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना के ऑनलाईन प्रस्ताव भरवाये जाने के संबंध में प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश:-

मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना:-

योजनान्तर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा में राजकीय विद्यालयों से प्रत्येक जिले की 04 बालिकाओं (जिले में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली 02 मेधावी बालिकाएँ, बीपीएल श्रेणी की 01 मेधावी बालिका एवं अनाथ श्रेणी की 01 मेधावी बालिका (न्यूनतम प्राप्तांक 75 प्रतिशत अंक) को फाउण्डेशन द्वारा आर्थिक सहायता राशि से लाभान्वित करवाया जाता है। स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल की माध्यमिक परीक्षा में (09 सी.जी.पी.ए. या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली) राज्य में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली 02 मेधावी बालिकाओं को भी आर्थिक सहायता राशि से लाभान्वित करवाया जाता है।

योजनान्तर्गत चयनित बालिकाओं को कक्षा 11 एवं 12 में नियमित अध्ययनरत रहने/व्यावसायिक शिक्षा/प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अधिकतम 1,15,000/- तक की सीमा में (स्टेशनरी राशि -15,000/- + स्कूल/कोचिंग/छात्रावास शुल्क राशि अधिकतम सीमा में राशि-1,00,000/-) आर्थिक सहायता राशि प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है।

निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की सूचीनुसार पात्र बालिकाओं के ऑनलाईन आवेदन DEO OFFICE LOGIN से भरे जाने उपरान्त पुरस्कार राशि जन-आधार इन्टीग्रेशन एवं डी बी टी माध्यम से प्रदान की जानी है।

उपरोक्तानुसार योजना की पात्र बालिकाओं के ऑनलाईन APPLICATION PROSESS की कार्यवाही निम्नानुसार रहेगी :-

- (1) शाला दर्पण पोर्टल में DEO OFFICE LOGIN के "BENEFICIARY SCHEME PORTAL" पर बालिका का ऑनलाईन आवेदन किया जाना है।
- (2) वर्ष 2024 में कक्षा-10 की पात्रता आधार पर चयनित बालिका जो कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा-11 में नियमित रूप से अध्ययनरत एवं वर्ष 2023 में कक्षा-10 की पात्रता आधार पर चयनित बालिका जो कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा-12 में नियमित रूप से अध्ययनरत है के आवेदन ऑनलाईन आप कार्यालय द्वारा किये जाने है। (दोनों कक्षाओं में वर्तमान में पात्र बालिकाओं की सूची पोर्टल पर मैप करवा दी गई है।)
- (3) राज्य सरकार द्वारा जारी योजना की क्रियान्विति हेतु नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 19.04.2022 के अनुसार कक्षा-11/12 वी कक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश के लिए कोचिंग लेने पर प्रथम एक वर्ष के लिए ही एक बार राशि का पुनर्भरण: किया जा सकेगा, जिसके लिए छात्रा पात्र है।
- (4) छात्रा द्वारा प्रस्तुत कोचिंग एवं छात्रावास के शुल्क की समस्त INVOICE GST REGISTERED FARM/INSTITUTE की होने के साथ उक्त INVOICE पर FARM/INSTITUTE का REGISTRATION NUMBER, PAN MUNBER , ADDRESS स्पष्ट रूप से अंकित होना आवश्यक है उक्त सभी INVOICES को जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) मा. एवं लेखाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किये जाने उपरान्त पर ही पोर्टल पर अपलोड करवाये।
- (5) ऑनलाईन आवेदन के समय स्टेशनरी राशि 15000/- एवं स्कूल/कोचिंग/छात्रावास शुल्क राशि (अधिकतम सीमा में राशि-1,00,000/-)का अंकन स्पष्ट रूप से अलग-अलग करते हुए कुल मांग राशि प्रदर्शित होने पर ही आवेदन सबमिट किया जाना है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार का संशोधन एवं अतिरिक्त मांग स्वीकार्य नहीं हो सकेगी।

उपरोक्तानुसार ऑनलाईन आवेदन दिनांक 10.11.2024 तक अन्तिम रूप से सबमिट किया जाना सुनिश्चित करावे।

**Signature valid**

Digitally signed by Tejpal Moond  
Designation: Secretary  
Date: 2024.10.15 12:52:45 IST  
Reason: Approved